2012 का विधेयक सं. 36

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह 25 मई, 2012 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 15 का संशोधन.- राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 15), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 15 में विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) प्रत्येक बार संगम अपने संविधान, नियमों या उप-विधियों के अनुसार यथासमय निर्वाचन करायेगा और राजस्थान की बार काउन्सिल या भारत की बार काउन्सिल द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या निदेशों का पालन करेगा।"।

3. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 में,-

(i) उप-धारा (1) का विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (5) में,-

(क) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " 200/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "300/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " 500/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "750/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " 750/-रु." क़े स्थान पर अभिव्यक्ति "1,250/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (5) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "10,000/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "17,500/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (5) के द्वितीय परन्तुक में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न " **%** " प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(v) यथापूर्वोक्त संशोधित द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

" परन्तु यह भी कि यदि चालू वर्ष का वार्षिक अभिदान 30 जून को या उससे पूर्व संदत्त नहीं किया जाता है तो निधि का सदस्य, उस तारीख से जिसको अभिदान देय हो जाता है, बकाया की रकम पर 1.50 रु. प्रति सौ प्रतिमास की दर से ब्याज संदत्त करने का दायी होगा।"।

4. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) में,-

(i) द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रु." क़े स्थान पर अभिव्यक्ति "दो लाख पचास हजार रु." प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात् और विद्यमान अन्तिम परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि द्वितीय परन्तुक के उपबंध उस सदस्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जो पैंतालीस वर्ष की आयु के पश्चात् प्रवेश या पुन: प्रवेश करता है:"।

5. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 19 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रु." क़े स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस रु." प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस रु." प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"25. निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान,-(1) न्यासी समिति, उसको आवेदन के प्रस्तुत होने पर तथा दावे की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात्, किसी सदस्य को निधि से निम्नलिखित दशा में अनुग्रह अनुदान अनुज्ञात कर सकेगी -

(क) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न, किसी गंभीर शल्य क्रिया के अन्तर्ग्रस्त होने पर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में; या

(ख) यदि उसकी ओपन हार्ट सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण या एन्जियोप्लास्टी होती है या वह क्षय, कुष्ठ, पक्षाघात, कैन्सर, चित्तविकृति, एड्स, पैराप्लेजिया या किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित पचास प्रतिशत से अधिक की नि:शक्तता से या ऐसे ही किसी अन्य गंभीर रोग से पीड़ित है।

(2) इस प्रकार अनुज्ञात अनुदान खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में 40,000/-रु. और खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में 1,00,000/-रु. से अधिक नहीं होगा:

परन्तु ऐसा दावा पांच वर्ष की कालावधि में एक बार से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि 45 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रवेश या पुन: प्रवेश करने वाला सदस्य कोई भी अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा"।

8. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अनुसूची
(धारा 17 देखिए)

5 वर्ष की सदस्यता	:	19,000/-रु.
6 वर्ष की सदस्यता	:	22,000/-रु.
7 वर्ष की सदस्यता	:	25,000/-रु.
8 वर्ष की सदस्यता	:	28,000/-रु.
9 वर्ष की सदस्यता	:	31,000/-रु.
10 वर्ष की सदस्यता	:	36,000/-रु.
11 वर्ष की सदस्यता	:	41,000/-रु.
12 वर्ष की सदस्यता	:	46,000/-रु.
13 वर्ष की सदस्यता	:	51,000/-रु.
14 वर्ष की सदस्यता	:	56,000/-रु.
15 वर्ष की सदस्यता	:	61,000/-रु.
16 वर्ष की सदस्यता	:	67,000/-रु.
17 वर्ष की सदस्यता	:	74,000/-रु.
18 वर्ष की सदस्यता	:	81,000/-रु.
19 वर्ष की सदस्यता	:	88,000/-रु.
20 वर्ष की सदस्यता	:	95,000/-रु.
21 वर्ष की सदस्यता	:	1,05,000/-रु.
22 वर्ष की सदस्यता	:	1,15,000/-रु.
23 वर्ष की सदस्यता	:	1,25,000/-रु.
24 वर्ष की सदस्यता	:	1,35,000/-रु.
25 वर्ष की सदस्यता	:	1,45,000/-रु.
26 वर्ष की सदस्यता	:	1,62,000/-रु.
27 वर्ष की सदस्यता	:	1,79,000/-रु.
28 वर्ष की सदस्यता	:	1,96,000/-रु.
29 वर्ष की सदस्यता	:	2,13,000/-रु.
30 वर्ष की सदस्यता	:	2,30,000/-रु.
31 वर्ष की सदस्यता	:	2,55,000/-रु.
32 वर्ष की सदस्यता	:	2,80,000/-रु.

33 वर्ष की सदस्यता	:	3,05,000/-रु.
34 वर्ष की सदस्यता	:	3,30,000/-रु.
35 वर्ष की सदस्यता	:	3,55,000/-रु.
36 वर्ष की सदस्यता	:	3,90,000/-रु.
37 वर्ष की सदस्यता	:	4,25,000/-रु.
38 वर्ष की सदस्यता	:	4,60,000/-रु.
39 वर्ष की सदस्यता	:	4,95,000/-रु.
40 वर्ष की सदस्यता	:	5,30,000/-रु."।

9. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्योदश सं.4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम को वर्ष 1987 में अधिनियमित किया गया था और वर्ष 1995 और 2003 में संशोधित किया गया था। निधि से संबंधित कार्यकरण के दौरान निधि की आय बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गयी जिससे कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्यों को, मृत्यु या गंभीर बीमारी या शल्य क्रियाओं इत्यादि के समय उपलब्ध करायी जाने वाली वित्तीय सहायता में सारवान् रूप से वृद्वि की जा सके। यह भी महसूस किया गया कि विशिष्टतया निधि के सदस्यों को सहायता की मंजूरी के विषय में कतिपय उपबंधों का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता थी। इस दृष्टि से इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों में समुचित संशोधनों की आवश्यकता थी।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 25 मई, 2012 को राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं.4) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 25 मई, 2012 को प्रकाशित हुआ।

पूर्वोक्त अध्यादेश के प्रख्यापन के पश्चात् राजस्थान बार काउन्सिल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि 45 वर्ष की आयु के पश्चात् निधि में प्रविष्ट होने वाले या पुन:प्रविष्ट होने वाले सदस्यों को धारा 25 के अधीन किसी भी अनुग्रह-अनुदान के लिए पात्र न माना जाये। तदनुसार, अधिनियम की धारा 25 में इस प्रभाव का एक द्वितीय परन्तुक जोड़ा जाना भी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को उपरोक्त उपान्तरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987

(1987 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण

xx xx xx

16. निधि की सदस्यता.- (1) किसी भी न्यायालय, अधिकरण या राज्य में साक्ष्य लेने या किसी भी विवाद को अधिनिर्णीत या विनिश्चित करने के लिए किसी भी विधि द्वारा विधित: प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय करने वाला प्रत्येक अधिवक्ता निधि के सदस्य के रूप में सम्मिलित होने के लिए न्यासी समिति को ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा जो विहित किया जाये:

परन्तु ऐसे अधिवक्ता ने निधि में प्रवेश चाहने के आवेदन के प्रस्तुत किये जाने की तारीख को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।

(2) से (4) **xx xx xx**

(5) प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 30 जून को या उसके पूर्व निधि में निम्नलिखित दरों से वार्षिक अभिदान का अग्रिम रूप से संदाय करेगा, अर्थात्:-

(i) जहां अधिवक्ता की बार में अवस्थिति
पांच वर्ष से कम है 200-रू

(ii) जहां अधिवक्ता की बार में अवस्थिति
पांच वर्ष हो गयी है या दस वर्ष से कम है 500-रू

(iii) जहां अधिवक्ता की बार में अवस्थिति
दस वर्ष या उससे अधिक है 750-रू

परन्तु निधि का कोई सदस्य 10,000-रू की राशि एक मुश्त जमा करा सकेगा और उस दशा में उससे वार्षिक अभिदान का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि भावी सदस्य निधि में प्रवेश फीस के साथ चालू वर्ष के पूरे अभिदान का संदाय करेगा।

(6) से (13) **xx xx xx**

17. विधि व्यवसाय के बंद कर दिये जाने पर निधि से संदाय.-(1) निधि का कोई सदस्य, जो निधि का सदस्य बन जाने के पश्चात् विधि व्यवसाय की पांच वर्ष की कालावधि पूरी कर लेता है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विधि व्यवसाय के बन्द कर दिये जाने

पर निधि से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, अपनी अवस्थिति के वर्षों की संख्या के अनुरूप रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.-(i) इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए निधि के किसी सदस्य की अवस्थिति के वर्षों की संख्या संगणित करने के प्रयोजन के लिए निधि के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने से पूर्व अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय के प्रत्येक चार वर्ष को एक वर्ष की अवस्थिति के रूप में गिना जायेगा और ऐसे सम्मिलित किये जाने से पूर्व चार वर्ष से ऊपर के विधि-व्यवसाय के प्रत्येक वर्ष को तीन महीने की अवस्थिति के बराबर गिना जायेगा तथा इस प्रकार गिने गये अवस्थिति के वर्षों की कुल संख्या ऐसे सम्मिलित किये जाने के पश्चात् विधि व्यवसाय के वर्षों की संख्या में जोड़ दी जायेगी।

(ii) अवस्थिति के वर्षों की गणना के प्रयोजन के लिए उस कालावधि पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके दौरान निधि का कोई सदस्य निलम्बित रहा:

परन्तु कोई सदस्य व्यवसाय के वर्षों की संख्या को स्पष्टीकरण (i) के अनुसार विभाजित करने के पश्चात् शेष रही किसी भिन्न, यदि कोई हो, के लिए 500/-रू की रकम का दावा करने का हकदार होगा:

परन्तु यह और कि किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में इस उप-धारा के अधीन संदेय राशि अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट रकम या एक लाख रूपये, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी:

परन्तु यह भी कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.9) क़े प्रारंभ के पश्चात् निधि में सम्मिलित किया गया सदस्य स्पष्टीकरण (i) के फायदे का हकदार नहीं होगा।

(2) से (5) **xx xx xx xx**

xx xx xx

19. न्यासी समिति/बार काउन्सिल द्वारा स्टाम्पों का मुद्रण और वितरण.-(1) न्यासी समति/बार काउन्सिल दस रूपये के मूल्य के कल्याण निधि स्टाम्प मुद्रित और वितरित करवायेगी जिन पर न्यासी समिति/बार काउन्सिल के संप्रतीक सहित उनका मूल्य और क्रम संख्यांक अन्तर्लिखित होगा।

(2) से (7) xx xx xx xx

xx xx xx

20. वकालतनामों पर स्टाम्प का लगाया जाना.-(1) प्रत्येक अधिवक्ता उसके द्वारा फाइल किये गये प्रत्येक वकालतनामे पर धारा 19 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दस रूपये कल्याण निधि फीस का स्टाम्प लगायेगा और कोई भी वकालतनामा किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी या धारा 16 में निर्दिष्ट व्यक्ति के समक्ष दाखिल या उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जायेगा जब तक वह इस प्रकार स्टाम्पित न हो।

(2) से (3) xx xx xx xx

25. निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान.-(1) न्यासी समिति, उसको आवेदन के प्रस्तुत होने पर तथा दावे की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात्, निधि से किसी सदस्य को निम्नलिखित दशा में अनुग्रह अनुदान अनुज्ञात कर सकेगी-

(क) अस्पताल में भर्ती के ऐसे मामले में जिसमें बड़ी शल्य क्रिया अन्तर्वलित हो; या

(ख) यदि वह क्षय, कुष्ठ, पक्षाघात, कैंसर रोग या चित्तविकृति से या ऐसी ही किसी अन्य गंभीर बीमारी या नि:शक्तता से पीड़ित है;

(2) इस प्रकार अनुज्ञात अनुदान खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में 20,000/-रूपये और खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में 50,000/-रूपये से अधिक का नहीं होगा:

परन्तु दावा पांच वर्ष की किसी कालावधि में एक से अधिक बार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

(धारा 17 देखिए)

5 वर्ष की सदस्यता	:	15,000-रु
6 वर्ष की सदस्यता	:	17,000-रु
7 वर्ष की सदस्यता	:	19,000-रु
8 वर्ष की सदस्यता	:	21,000-रु
9 वर्ष की सदस्यता	:	23,000-रु

10 वर्ष की सदस्यता	:	26,000-रु
11 वर्ष की सदस्यता	:	29,000-रु
12 वर्ष की सदस्यता	:	32,000-रु
13 वर्ष की सदस्यता	:	35,000-रु
14 वर्ष की सदस्यता	:	38,000-रु
15 वर्ष की सदस्यता	:	41,000-रु
16 वर्ष की सदस्यता	:	45,000-रु
17 वर्ष की सदस्यता	:	50,000-रु
18 वर्ष की सदस्यता	:	55,000-रु
19 वर्ष की सदस्यता	:	60,000-रु
20 वर्ष की सदस्यता	:	65,000-रु
21 वर्ष की सदस्यता	:	72,000-रु
22 वर्ष की सदस्यता	:	79,000-रु
23 वर्ष की सदस्यता	:	86,000-रु
24 वर्ष की सदस्यता	:	93,000-रु
25 वर्ष की सदस्यता	:	1,00,000-रु
26 वर्ष की सदस्यता	:	1,15,000-रु
27 वर्ष की सदस्यता	:	1,30,000-रु
28 वर्ष की सदस्यता	:	1,45,000-रु
29 वर्ष की सदस्यता	:	1,60,000-रु
30 वर्ष की सदस्यता	:	1,75,000-रु
31 वर्ष की सदस्यता	:	1,95,000-रु
32 वर्ष की सदस्यता	:	2,15,000-रु
33 वर्ष की सदस्यता	:	2,35,000-रु
34 वर्ष की सदस्यता	:	2,55,000-रु
35 वर्ष की सदस्यता	:	2,75,000-रु
36 वर्ष की सदस्यता	:	3,05,000-रु
37 वर्ष की सदस्यता	:	3,35,000-रु
38 वर्ष की सदस्यता	:	3,65,000-रु
39 वर्ष की सदस्यता	:	3,95,000-रु
40 वर्ष की सदस्यता	:	4,25,000-रु

xx xx xx

(Authorised English Translation)

Bill No. 36 of 2012

THE RAJASTHAN ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2012

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act,1987.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 25th May, 2012.

2. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In section 15 of the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987 (Act No. 15 of 1987), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, after the existing sub-section (2),the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3) Every Bar Association shall hold the election timely as per its constitution, rules or by-laws and shall abide by the instructions or directions issued, from time to time, by the Bar Council of Rajasthan or the Bar Council of India.".

3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In section 16 of the principal Act,-

(i) the existing proviso to sub-section (1) shall be deleted;

(ii) in sub-section (5),-

(a) in clause (i), for the existing expression " Rs. 200/-", the expression " Rs. 300/-" shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the existing expression " Rs. 500/-", the expression " Rs. 750/-" shall be substituted; and

(c) in clause (iii), for the existing expression " Rs. 750/-", the expression " Rs. 1,250/-" shall be substituted;

(iii) in the first proviso to sub-section (5), for the existing expression "Rs. 10,000/-", the expression "Rs. 17,500/-" shall be substituted;

(iv) in the second proviso to sub-section (5), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(v) after the second proviso, amended as aforesaid, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided also that if annual subscription of current year is not paid on or before 30th June, the member of the Fund shall be liable to pay on the amount of arrear an interest at the rate of Rs. 1.50 per hundred per month from the date on which subscription becomes due.".

4. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 17 of the principal Act,-

(i) in the second proviso, for the existing expression "rupees one lac", the expression "rupees two lacs fifty thousand" shall be substituted; and

(ii) after the existing second proviso and before the existing last proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the provisions of second proviso shall not be applicable in respect of a member who is admitted or readmitted after the age of forty five years:".

5. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 19 of the principal Act, for the existing expression "ten rupees", the expression "twenty five rupees" shall be substituted.

6. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 20 of the principal Act, for the existing expression "rupees ten", the expression "rupees twenty five" shall be substituted.

7. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- For the existing section 25 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"25. *Ex-gratia grant to a member of the Fund.*- (1) The Trustee Committee, on an application submitted to it,

and after being satisfied about the genuineness of the claim, may allow ex-gratia grant to a member from the Fund-

(a) in case of hospitalization involving a major surgical operation other than that specified in clause (b); or

(b) if he undergoes open heart surgery, organ transplantation or angioplasty or is suffering from tuberculosis, leprosy, paralysis, cancer, unsoundness of mind, AIDS, paraplegia or disablement certified by a Medical Board to be more than fifty per cent or from such other serious diseases.

(2) The grant so allowed shall not exceed a sum of Rs. 40,000/- in cases falling under clause (a) and Rs. 1,00,000/- in cases falling under clause (b):

Provided that the claim shall not be more than once in a period of five years:

Provided further that the member admitted or readmitted after the age of 45 years shall not be entitled to receive any ex-gratia grant.".

8. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- For the existing Schedule to the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**SCHEDULE**

(See section 17)

5 years membership	:	Rs. 19,000/-
6 years membership	:	Rs. 22,000/-
7 years membership	:	Rs. 25,000/-
8 years membership	:	Rs. 28,000/-
9 years membership	:	Rs. 31,000/-
10 years membership	:	Rs. 36,000/-
11 years membership	:	Rs. 41,000/-
12 years membership	:	Rs. 46,000/-
13 years membership	:	Rs. 51,000/-

14 years membership	:	Rs. 56,000/-
15 years membership	:	Rs. 61,000/-
16 years membership	:	Rs. 67,000/-
17 years membership	:	Rs. 74,000/-
18 years membership	:	Rs. 81,000/-
19 years membership	:	Rs. 88,000/-
20 years membership	:	Rs. 95,000/-
21 years membership	:	Rs. 1,05,000/-
22 years membership	:	Rs. 1,15,000/-
23 years membership	:	Rs. 1,25,000/-
24 years membership	:	Rs. 1,35,000/-
25 years membership	:	Rs. 1,45,000/-
26 years membership	:	Rs. 1,62,000/-
27 years membership	:	Rs. 1,79,000/-
28 years membership	:	Rs. 1,96,000/-
29 years membership	:	Rs. 2,13,000/-
30 years membership	:	Rs. 2,30,000/-
31 years membership	:	Rs. 2,55,000/-
32 years membership	:	Rs. 2,80,000/-
33 years membership	:	Rs. 3,05,000/-
34 years membership	:	Rs. 3,30,000/-
35 years membership	:	Rs. 3,55,000/-
36 years membership	:	Rs. 3,90,000/-
37 years membership	:	Rs. 4,25,000/-
38 years membership	:	Rs. 4,60,000/-
39 years membership	:	Rs. 4,95,000/-
40 years membership	:	Rs. 5,30,000/-".

9. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 4 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Advocates Welfare Fund Act was enacted in the year 1987 and was amended in the year 1995 and 2003. In the course of working of the fund, a need was felt to increase the income of the fund so as to substantially increase the financial assistance to the members of the Rajasthan Advocates Welfare Fund provided at the time of death and major illness or surgical operations, etc. It was also felt that certain provisions needed review particularly in regard to grant of assistance to the members of the fund. In view of this certain provisions of the Act needed suitable amendments.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Rajasthan Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 4 of 2012), on 25th May, 2012, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 25th May, 2012.

After the promulgation of the aforesaid Ordinance, it was suggested by the Bar Council of Rajasthan, that the member admitted or readmitted to the Fund after the age of 45 years should not be made eligible for any ex-gratia grant under section 25. Accordingly, a second proviso to the above effect is also proposed to be added in section 25 of the Act.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with the above modifications.

Hence the Bill.

शांति धारीवाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 1987
(Act No. 15 of 1987)

XX XX XX XX XX

16. *Membership in the Fund.*- (1) Every Advocate practicing before any Court, Tribunal or other authority legally authorised by any law to take evidence or to adjudicate or decide any dispute in the State shall apply to the Trustee Committee for admission as a member of the fund in such form as may be prescribed:

Provided that such Advocate has not attained the age of 45 years on the date of submission of application seeking admission to the Fund.

(2) to (4) xx xx xx xx xx

(5) Every member shall pay in advance an annual subscription to the Fund on or before 30th day of June, every year at the following rates, namely:-

(i) Where the standing of the Advocate at the Bar is less than five years- Rs. 200/-

(ii) Where the standing of the Advocate at the Bar becomes five years or is less than ten years – Rs. 500/-

(iii) Where the standing of the Advocate at the Bar is ten years or more- Rs. 750/-:

Provided that a member of the Fund may deposit in lump-sum a sum of Rs. 10,000/- and in that event he shall not be required to pay annual subscription:

Provided further that the prospective member shall pay the full subscription of the current year alongwith the admission fee to the Fund.

(6) to (13) xx xx xx xx xx

17. *Payments from the Fund on cessation of practice.*- (1) A member of the Fund who completes a period of five years practice after he becomes member of the Fund shall, subject to the provisions of this Act, be entitled on cessation of practice to

receive out of the Fund an amount corresponding to the number of years of his standing at the rate specified in the Schedule.

Explanation.-(i) For the purpose of calculating the number of years of standing of a member of the Fund for the purpose of this sub-section, every four years, practice as an advocate before the admission of a member to the Fund shall be counted as one year's standing and every year of practice over and above four years before such admission shall be counted equivalent to three months, standing and the total number of years of standing so counted shall be added to the number of years of practice after such admission;

(ii) The period during which a member of the Fund remained under suspension shall not be considered for the purpose of counting the years of standing :

Provided that a member shall be entitled to claim an amount of Rs. 500/- for a fraction, if any, remaining after dividing the number of years of practice by for as per explanation (i) :

Provided further that in the event of death of a member the sum payable under this sub-section shall be the amount as specified in the Schedule or rupees one lac whichever is higher:

Provided also that the member admitted to the Fund after the commencement of the Rajasthan Advocates Welfare (Amendment) Act,2003(Act No. 9 of 2003) shall not be entitled to the benefit of Explanation (i).

(2) to (5) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

19. *Printing and distribution of stamps by Trustee Committee/Bar Council.*- (1) Trustee Committee/Bar Council shall cause to be printed and distributed Welfare Fund stamps of the value of ten rupees with the Trustee Committee/Bar Council emblem and its value along with serial number inscribed thereon.

(2) to (7) xx xx xx xx xx

20. *Vakalatnama to bear stamp.*- (1) Every Advocate shall affix Welfare Fund fee stamps of rupees ten referred to in sub-

section (1) of section 19 on every Vakalatnama filed by him and no Vakalatnama shall be filed before or received by any Court, Tribunal or other authority or person referred to in section 16 unless it is so stamped.

(2) to (3) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

25. *Ex-gratia grant to a member of the Fund.*- (1) The Trustee Committee, an application submitted to it, and after being satisfied about the genuineness the claim, may allow ex-gratia grant to a member from the fund-

(a) in the case of hospitalization involving a major surgical operation; or

(b) if he is suffering from tuberculosis, leprosy, paralysis, cancer, unsoundness of mind or from such other serious diseases or disabilities.

(2) The grant so allowed shall not exceed a sum of Rs. 20,000/- in cases falling under clause (a) and Rs. 50,000/- in cases falling under clause (b):

Provided that the claim shall not be more than once in a period of five years.

SCHEDULE

(See section 17)

5 years membership	:	Rs. 15,000/-
6 years membership	:	Rs. 17,000/-
7 years membership	:	Rs. 19,000/-
8 years membership	:	Rs. 21,000/-
9 years membership	:	Rs. 23,000/-
10 years membership	:	Rs. 26,000/-
11 years membership	:	Rs. 29,000/-
12 years membership	:	Rs. 32,000/-
13 years membership	:	Rs. 35,000/-
14 years membership	:	Rs. 38,000/-
15 years membership	:	Rs. 41,000/-

16 years membership	:	Rs. 45,000/-
17 years membership	:	Rs. 50,000/-
18 years membership	:	Rs. 55,000/-
19 years membership	:	Rs. 60,000/-
20 years membership	:	Rs. 65,000/-
21 years membership	:	Rs. 72,000/-
22 years membership	:	Rs. 79,000/-
23 years membership	:	Rs. 86,000/-
24 years membership	:	Rs. 93,000/-
25 years membership	:	Rs. 1,00,000/-
26 years membership	:	Rs. 1,15,000/-
27 years membership	:	Rs. 1,30,000/-
28 years membership	:	Rs. 1,45,000/-
29 years membership	:	Rs. 1,60,000/-
30 years membership	:	Rs. 1,75,000/-
31 years membership	:	Rs. 1,95,000/-
32 years membership	:	Rs. 2,15,000/-
33 years membership	:	Rs. 2,35,000/-
34 years membership	:	Rs. 2,55,000/-
35 years membership	:	Rs. 2,75,000/-
36 years membership	:	Rs. 3,05,000/-
37 years membership	:	Rs. 3,35,000/-
38 years membership	:	Rs. 3,65,000/-
39 years membership	:	Rs. 3,95,000/-
40 years membership	:	Rs. 4,25,000/-

XX XX XX XX XX

2012 का विधेयक सं.36

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया,
विशेषाधिकारी।

(शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 36 of 2012

THE RAJASTHAN ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2012

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act,1987.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAKASH CHANDRA PICHHOLIA,
Officer On Special Duty

(Shanti Dhariwal, **Minister-Incharge**)